



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10082026-275352
CG-MH-E-10082026-275352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4221]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2026/श्रावण 16, 1948

No. 4221]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2026/SHRAVAN 16, 1948

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

शुद्धिपत्रक

मुम्बई, 7 अगस्त, 2026

(ई-गजट अधिसूचना संख्या 476 तारीख 04-02-2026 के संबंध में, नीचे उल्लिखित)

अनुच्छेद को पिछली अधिसूचना में सही विवरण के रूप में माना जायेगा)

रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) की धारा 20A के तहत

का.आ. 4399(अ).— केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के "नागपुर मंडल के नागपुर - इटारसी और नागपुर - बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (07 संख्या)" प्रस्तावना निर्माण" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन (वि. पा. व. म.) वर्धा, तालुका सेलू, जिला वर्धा महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार पर उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेल परियोजना के लिए संरचना सहित या उसके बिना अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण, अर्थात्: "नागपुर मंडल के नागपुर - इटारसी और के नागपुर - बल्लारशाह अनुभाग के बीच लेवल क्रॉसिंग गेट्स के बदले आरओबी और आरयूबी (07 संख्या) प्रस्तावना निर्माण", महाराष्ट्र राज्य में परियोजना।

(लेवल क्रॉसिंग संख्या 96 के स्थान पर 2-लेन आरओबी के साथ आरयूबी का प्रस्तावित निर्माण)

क्रम. संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तालुका	सर्वे / गैट संख्या के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सर्वे / गैट संख्या	विधि भूमि धारण	कुल क्षेत्रफल सर्वे / गैट संख्या 7/12 के अनुसार (.आर.हे)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (.आर.हे)
1.		सुकली स्टेशन	सेलू	महेंद्र उर्फ मिलिंद रंगदेव शंभरकर	273/2 भाग	1	0.8100	0.0175
2.				भीमराव गणपत बनकर	276/1 भाग	1	1.6700	0.0150
3.				प्रकाश गुलाबचंद गोयल, राजेश गुलाबचंद गोयल	276/2 भाग	1	2.4100	0.0386
4.				गौरव विजय आष्टनकर, गौरी रविशंकर भिवगडे, विजय मोतीरामजी आष्टनकर	278 भाग	1	3.1900	0.0333
							8.0800 (.आर.हे)	0.1044 (हे.आर.)

क्रम. संख्या	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव संख्या	गाँव	तालुका	सर्वे / गैट संख्या के अनुसार भूमि मालिकों का नाम	सर्वे / गैट संख्या	भूमि धारण विधि	कुल क्षेत्रफल सर्वे / गैट संख्या 7/12 के अनुसार (.आर.हे)	अधिग्रहण क्षेत्रफल (.आर.हे)
1.		तलोधी	सेलु	वंदना चंद्रमणि ब्राम्हने, अनिल संभाजी लोटे, भारत संभाजी लोटे, सुशीला गुलाब लोटे, रायभान संभाजी लोटे	85 भाग	1	0.9200	0.1198
2.				प्रमोद वामनराव आदमने	86 भाग	1	0.4300	0.0156
3.				राजकुमार ज्ञानेश्वर कांबळे	87 भाग	1	1.0700	0.0126
4.				धनराज भैय्याजी चौधरी, प्रवीन भैय्याजी चौधरी	111 भाग	1	3.1500	0.0082
5.				जयंत वामनराव आदमने, प्रकाश हरिचन्द्र अग्रवाल, हेमंत रमेश मदन	114 भाग	1	8.900	0.0089
				कुल			14.4700 (हे.आर.)	0.1651 (हे.आर.)
				कुल योग			22.5500 (हे.आर.)	0.2695 (हे.आर.)

[फा. सं. G197/RSP/Sukali & Talodi/NGP LC 96/Corrigendum/20A]

भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 7th August, 2026

(IN REGARD TO E-GAZETTE NOTIFICATION NO. 476 dated 04-02-2026, THE PARA MENTIONED BELOW SHOULD BE TREATED AS CORRECTED DETAILS IN PREVIOUS NOTIFICATION)

Under clause 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989)

S.O. 4399(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Proposed construction of ROB & RUB (7 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Nagpur – Itarsi and Nagpur – Ballarshah section of Nagpur Division**” in the district of Jalgaon in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, **Deputy Collector (Land Acquisition), Wardha, Taluka Seloo, District Wardha** in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner

and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely: **“Proposed construction of ROB & RUB (7 Nos.) in lieu of Level Crossing Gates between Nagpur – Itarsi and Nagpur – Ballarshah section of Nagpur Division”,** Project in the state of Maharashtra.

(Proposed Construction of 2-Lane ROB with RUB in lieu of level crossing no. 96)

Sr. No.	Land Acquisition Proposal No.	Village	Taluka	Land Owners Name according to Survey / Gut No Extracts	Survey / Gat No.	Land Holding Method	Total area as per 7/12 (Ha.)	Acquisition Area (Ha.)
DISTRICT: WARDHA								
1.		SUKALI STATION	SELOO	Mahendra alias Milind Rangdev Shambarkar	273/2 Part	1	0.8100	0.0175
2.				Bhimrao Ganpat Bankar	276/1 Part	1	1.6700	0.0150
3.				Prakash Gulabchand Goyal, Rajesh Gulabchand Goyal	276/2 Part	1	2.4100	0.0386
4.				Gaurav Vijay Ashtankar, Gauri Ravishankar Bhivgade, Vijay Motiramji Ashtankar	278 Part	1	3.1900	0.0333
				Total			8.0800 (Ha.)	0.1044 (Ha.)
1.		TALODI	SELOO	Vandana Chandramani Brahmne, Anil Sambhaji Lote, Bharat Sambhaji Lote, Sushila Gulab Lote, Raibhan Sambhaji Lote	85 Part	1	0.9200	0.1198
2.				Pramod Vamanrao Adamne	86 Part	1	0.4300	0.0156
3.				Rajkumar Dnyaneshwar Kamble	87 Part	1	1.0700	0.0126
4.				Dhanraj Bhaiyyaji Chaudhary, Pravin Bhaiyyaji Chaudhary	111 Part	1	3.1500	0.0082
5.				Jayant Wamanrao Adamne, Prakash Harichandra Agarwal, Hemant Ramesh Madan	114 Part	1	8.900	0.0089
				Total			14.470 (Ha.)	0.1651 (Ha.)
				Grand Total			22.5500 (Ha.)	0.2695 (Ha.)

[F. No. G197/RSP/Sukali & Talodi/NGP LC 96/Corrigendum/20A]

BHUVNESH KUMAR GUPTA, Chief Administrative Officer (Con.)